भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 411

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2025

अस्पृश्यता की विद्यमानता

411. श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के किसी राज्य के किसी भाग में किसी प्रकार की अस्पृश्यता विद्यमान है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो;

(ग) क्या कोई ऐसा मामला है जहां किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए एससी/एसटी कानूनों का गलत इस्तेमाल हुआ है और यदि हां, तो किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए कानूनों के गलत इस्तेमाल हेतु सज़ा देने के लिए कानूनी प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय विभिन्न न्यायालयों में एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य-वार कितने मामले लंबित हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराध संबंधी सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करके अपने प्रकाशन 'भारत में अपराध' में प्रकाशित करता है। वर्ष 2023 तक की प्रकाशित रिपोर्टें उपलब्ध हैं। एनसीआरबी द्वारा उपलब्ध करवाई गई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अस्पृश्यता के 24 मामले दर्ज किए गए हैं।

(ख): भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 ने 'अस्पृश्यता' को समाप्त कर दिया है, इसके व्यवहार पर रोक लगा दी है और 'अस्पृश्यता' से उत्पन्न होने वाली किसी भी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार एक दण्डनीय अपराध बना दिया है। संसद का एक अधिनियम अर्थात् सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 अस्पृश्यता के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली किसी भी निर्योग्यता के प्रवर्तन के लिए दंड निर्धारित करता है। अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचार को रोकने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 नामक संसद का एक अन्य अधिनियम बनाया गया था। एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 में क्रमशः वर्ष 2016 और 2018 में संशोधन किया गया था और उसके तहत बनाए गए नियमों को भी संशोधित किया गया था।

केंद्र स्तर पर, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सह-अध्यक्ष हैं, और जिसमें गृह मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य और तीन गैर-सरकारी सदस्य (अनुसूचित जातियों में से दो और अनुसूचित जनजातियों में से एक) शामिल हैं, राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करती है।

इसके अलावा, यह विभाग पीसीआर अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन के साथ नियमित बैठकें भी करता है। राज्य सरकारों/ संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन को सलाह दी गई है कि वे किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव को रोकना सुनिश्चित करें और इन अधिनियमों को पूरी तरह से लागू करें। भारत सरकार समय-समय पर सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन को सलाह जारी करती रहती है।

(ग): सुसंगत कानूनी उपबंधों के अनुसार कार्य करने वाले राज्यों द्वारा दुरुपयोग की सूचना दी गई है।

(घ): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराध संबंधी सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करके अपने प्रकाशन 'भारत में अपराध' में प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2023 तक उपलब्ध हैं। एनसीआरबी द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत न्यायालय में 3,07,355 मामले लंबित हैं तथा पीसीआर अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय में 965 मामले लंबित हैं।

*****